राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांकः एफ.3(28)मुख्या/याता/निरी/2024/2028 दिनांक : 17/10/24

कार्यालय–आदेश

निगम में वर्तमान में बिना टिकिट यात्री प्रकरणों में लिप्त परिचालकों/चालकों (परिचालकों का कार्य करते हुए पकडे जाने पर) के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पूर्व में जारी कार्यालय आदेश कमांक एफ. 3(28)मुख्या/याता/निरी/2020/784 दिनांक 11.11.2020 को अधिलंघित कर निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है:–

निरीक्षण के दौरान 2 यात्री से अधिक बिना टिकिट के प्रकरणों में लिप्त परिचालक/ चालक (परिचालक का कार्य करते हुए पकडे जाने पर) एवं उडनदस्ता दल/निरीक्षक से अभद्रव्यवहार, राजकार्य में बाधा, निरीक्षकों को ईटीआईएम नहीं देना, ईटीआईएम छीन लेना, चालक/परिचालक के स्थान पर अन्य अनधिकृत व्यक्ति (स्टेपनी) कार्य करते हुए पाये जाने आदि गम्भीर प्रकरणों मे लिप्त परिचालकों/चालकों को संबंधित मुख्य प्रबंधक रूट ऑफ कर स्थाई आदेशों के तहत आरोप पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रकरण संबंधित विभागाध्यक्ष को उसी दिवस प्रेषित करेंगें तथा विभागाध्यक्ष द्वारा आरोपी परिचालक/चालक (परिचालक का कार्य करते हुए पकडे जाने पर) को अविलम्ब निलम्बित कर मुख्यालय बदला जावेगा ताकि जॉच कार्यवाही विपरित रूप से प्रभावित नहीं हो सके।

बिना टिकिट यात्रा के शेष प्रकरणों में संबंधित कार्मिक के विरूद्ध स्थाई आदेशों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही/आरोप पत्र जारी कर अधिकतम एक माह में जांच पूर्ण कर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावेगा।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः एफ.3(28)मुख्या/याता/निरी/2024/2028 दिनांक : 17/10/24

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1 निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रापनिगम, मुख्यालय, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, रापनिगम, मुख्यालय, जयपुर।
3 समस्त विभागाध्यक्ष.......................................रापनिगम, मुख्यालय, जयपुर।
4 उपमहाप्रबंधक(याता/प्रशा/आईटी/वित्त/सांख्यिकी.) रापनि, मु0,जयपुर।
5 कार्यकारी प्रबंधक(याता–संस्था/चैकिंग)/प्रशा.अधि.(यांत्रिक)रापनि, मु0जयपुर।
6 समस्त जोन प्रभारी, राजस्थान परिवहन निगम, ... जोन।

I.T./1957
18/10/24